

मु. नं० 12/2024 (प्रार्षण)

12-06-24

प्रार्थी बबलू द्वारा आज प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तालव की गई। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा को विरुद्ध करना चाहता है। प्रकरण को ठीक चलाना नहीं चाहता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्षण को खोज करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्थात् निषेधाज्ञा खोज किया जाता है। दिनांक 07.02.2024 को अर्थात् गण के विरुद्ध जारी अर्थात् निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फंसल मुमाए हका नम्बर से काम हो।

आदेश सुनाया गया

उपकरण अधिकारी
महाराजगढ़ जिला दौसा